

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-जीसीएमएस नम्बर 2022/00360)

01. जगदीश पुत्र जयनारायण,
02. राजू पुत्र अर्जुन,
03. मिश्री पत्नी अर्जुन, समस्त जाति स्वामी, निवासी ढाणी आनाकावाली ग्राम प्रागपुरा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

01. पूरण पुत्र कानाराम,
02. प्रभूदास पुत्र नाथादास जाति स्वामी निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

—मुख्य रेस्पोंडेन्ट्स

03. तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
04. मंदिर गोपाल जी विराजमान भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला जयपुर।
05. नाथी पत्नी भंवर लाल,
06. भंवर लाल पुत्र कानाराम,
07. मंगलदास पुत्र नाथदास,
08. मदन पुत्र कानाराम,
09. मोहनदास पुत्र नाथादास,
10. रामजीलाल पुत्र कानाराम,
11. हेमराज पुत्र सुरेश, समस्त जाति स्वामी, निवासी भूरी भडाज, तहसील पावटा, जिला जयपुर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री बंशीधर जाट, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री पंकज चौधरी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 5 लगायत 11 की ओर से

दिनांक:-07.10.2025

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी दिनांक 24.05.2022 को प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम भूरी भडाज तहसील पावटा तहसील पावटा जिला जयपुर के खसरा नम्बर 2525, 2526, 2507, 2508 की उक्त आराजीयात के प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के लगवा अन्य खातेदारों की भूमि है, जो प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की आराजीयात की डोल आदि तोड़ते हैं, फसल नष्ट करते हैं। इस कारण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवायी जानी आवश्यक है, दिनांक 12.05.2022 को सीमाज्ञान हो चुका है। उन्होंने आगे कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2022 नियत की गई। दिनांक 31.05.2022 को कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर आगामी पेशी दिनांक 09.06.2022

(2)

दी गई। दिनांक 09.06.2022 को पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ तथा तरतीबी अप्रार्थीगण से कोई रिलिफ नही चाही गयी, उल्लेख करते हुये विधि विरुद्ध अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनांक 12.05.2022 को किसी प्रकार की सीमाज्ञान नही करवाया गया बल्कि अपीलान्त द्वारा थाना प्रागपुरा में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 07.05.2022 को मेरी खड़ी फसल की सीमाओं में आकर, जिस पर मेरे द्वारा तारबंदी कर रखी है, कुछ लोगों ने तारबंदी उखाड़ कर तार व ऐंगल ले गये तथा मेरी फसल को नष्ट कर दिया। प्रकरण धारा 143, 447, 427, 379, 504 आई.पी.सी के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान थाना अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 2528, 2526, 2525, 2508/2, 2507, 2499 की सीमाज्ञान केवल पुलिस कार्यवाही हेतु करवाया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर नही कर विधि विरुद्ध अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अपीलान्त द्वारा एक अन्य वाद जगदीश बनाम बिरदूराम व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किये गया था जिसमें मौके की यथास्थिति के आदेश दिये गये थे। यदि अपीलान्त की कब्जे काशत की भूमि उसी न्यायालय का स्थगन जारी है, तो पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जा सकती। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 09.06.2022 निरस्तनीय है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर जिसके बाबत पत्थरगढी की गई, दूसरे ग्राम में है तथा अपीलान्त की भूमि ग्राम प्रागपुरा में है। ऐसी स्थिति में जहाँ शरहद का विवाद हो वहाँ भू प्रबन्ध विभाग से ई.डी.एम. व अन्य तकनिकी विधि से सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रक्रिया अपनाये ही राजनैतिक दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। जो विधि विरुद्ध एवं विधिक रूप से दुषित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2022 उनवानी पूरण बनाम तहसीलदार पावटा व अन्य में पारित अपीलार्थीगण आदेश दिनांक 09.06.2022 को निरस्त फरमया जावें व उक्त आदेश की पालना में की गई समस्त अग्रिम कार्यवाहिया प्रभाव शून्य समझी जावें।

रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 5 लगायत 11 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2525/0.4832, 2526/0.1588, 2508/2/0.2350, 2507/1.01वाके मौजा भूरी भडाज तहसील पावटा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी के रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 5 लगायत 11 सम्पूर्ण हिस्से में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार रिकार्ड्ड खातेदार, काशतकार काबिज है। उक्त आगे कथन किया है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 5 लगायत 11 की उक्त भूमि से आराजी की डोल वगैरह तोड़ देते हैं, फसल नष्ट कर देते हैं तथा रेस्पोजेन्ट की आराजी को अपनी आराजी में मिलाने पर उतारू थे जो रेस्पोजेन्ट द्वारा समझाने पर भी नही मानते थे और मर-मार पर आमदा थे।

रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 5 लगायत 11 के अधिवक्ता ने कथन

(3)

किया है कि भूमि विवादग्रस्त रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को कोई सम्बन्ध-सरोकार नहीं है। प्रकरण में अपीलान्त की कोई लौकस स्टेण्डाई भी नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से तथा प्रकरण में देरी करने की गरज से उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो खारिज योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 11 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 12.05.2022 को करवाया जा चुका था। जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी करवाने हेतु तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार पावटा को कहा तो तहसीलदार पावटा ने सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कहा। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा द्वारा पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त होने के पश्चात् एवं उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद परीक्षणोपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2025 पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमान् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय हेतु निर्देशित करते हुए प्रकरण रिमाण्ड भी किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पडौसी खातेदारों को प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया है जबकि पत्थरगढी के मामलों में पडौसी खातेदार आवश्यक रूप से प्रभावित होने के कारण उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2022 पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। साथ ही रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने हेतु अपनी सहमति भी दी है। ऐसी स्थिति में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के मद्देनजर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(पूनम)

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
संभागीय न्यायालय,
जयपुर।